सं. एम-12011/3/2017-18/एमडी भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

पश्चिमी खण्ड -7,रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 दिनांक : जून, 2019

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय निदेशक/उप निदेशक (प्रभारी) (पूर्वोत्तर क्षेत्र/दक्षिणी क्षेत्र/ पश्चिमी क्षेत्र/ पूर्वी क्षेत्र/ उत्तरी क्षेत्र/ मध्य क्षेत्र) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय।

विषय: जुलाई तथा अगस्त, 2019 के दौरान दिल्ली हाट में कारीगरों की भागीदारी। महोदया/महोदय,

यह माह जुलाई तथा अगस्त, 2019 के दौरान पूरे भारत से दिल्ली हाट में कारीगरों की भागीदारी के संबंध में हैं। स्लॉट निम्न प्रकार से है:

स्लॉट 07 - 01/07/2019 से 15/07/2019 तक

स्लॉट 08 - 16/07/2019 से 31/07/2019 तक

स्लॉट 09 - 01/08/2019 से 15/08/2019 तक

स्लॉट 10 - 16/08/2019 से 31/08/2019 तक

प्रत्येक स्लॉट के लिए क्षेत्र वार स्टॉल निम्न प्रकार से हैं:

क्रमांक	क्षेत्र	क्षेत्रवार प्रस्तावित स्टॉल
1.	उत्तर	24
2.	मध्य	24
3.	पूर्वीतर	12
4.	दक्षिणी	18
5.	पूर्वी	18
6.	पश्चिमी	14
7.	मुख्यालय कार्यालय	08
	कुल :-	118

1. क्षेत्रीय निदेशक/ उप निदेशक (प्रभारी) यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन प्रत्येक हस्तिशिल्प सेवा केंद्र की समुचित भागीदारी हो। उनसे अनुरोध है कि वे उन्हें आवंटित कोटे के अनुसार कारीगरों की एक संकलित सूची प्रस्तुत करें।

जारी.....2

हस्तशिल्प सेवा केन्द्रों में चयन हेतु वरीयता निम्न के अनुसार दी जाएं:-

- 1. शिल्प गुरु/राष्ट्रीय पुरस्कृत/राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र।
- 2. राज्य प्रस्कार विजेता।
- 3. दिव्यांग कारीगर (विशेष रूप से समर्थ)।
- 4. जीआई शिल्प का प्राधिकृत उपयोगकर्ता।
- 5. संकटापन्न शिल्प कारीगर।
- 6. एएचवीवाई कलस्टर के तहत कवर किए गए चालू स्वावलंबन समूहों से कारीगर।
- 7. अन्य कारीगर।

निम्न दिशानिर्देशों का पालन किया जाएं:-

- 2. हस्तिशिल्प सेवा केन्द्रों द्वारा सीधे मुख्यालय को भेजी गई सूची स्वीकार नहीं की जाएगी। केवल क्षेत्रीय निदेशक/उप निदेशक (प्रभारी) का उत्तरदायित्व है कि वे संकलन कर संकलित सूची मुख्यालय कार्यालय को भेजें। प्रत्येक स्लॉट के लिए चयनित कारीगरों की सूची कार्यक्रम के आरंभ होने से कम से कम 05 दिन पूर्व इस कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।
- 3. केवल पहचान आई कार्ड धारक कारीगरों को ही भाग लेने की अनुमित होगी। पुराने या डुप्लिकेट आई कार्ड वाले कारीगर को अनुमित नहीं दी जाएगी। कारीगर को 6 महीने में केवल एक बार ही अनुमित दी जाए।
- 4. चयनित कारीगर को स्थान [वेन्यू] पर एक दिन पहले पहुंचना होगा। कारीगर के अलावा केवल एक सहायक को स्टॉल में बैठने की अनुमित होगी। सहायक कारीगर का सगा-संबंधी या उसी गांव से होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सहायक के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को अनुमित/संस्तुति नहीं होगी। यदि निरीक्षण/दौरे के दौरान स्टॉल पर कारीगर/सहायक के अलावा कोई अन्य/ अनाधिकृत व्यक्ति पाया गया तो कारीगर पर अगले पाँच वर्षों के लिए किसी भी विपणन कार्यक्रम में भाग लेने पर पाबंदी लगा दी जाएगी तथा तत्काल प्रभाव से स्टॉल बंद कर दिया जाएगा।
- 5. कारीगर को दिल्ली हाट निगम को स्टॉल के किराए का भुगतान करना होगा और यह सहभागिता पत्र में उल्लिखित होना चाहिए।
- 6. भागीदारी के लिए यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता/ढ्लाई प्रभार का भ्गतान नहीं किया जाएगा।

- 7. कारीगर को केवल उन्हीं वस्तुओं को ले जाना होगा जिसके लिए उसका भागीदारी हेतु चयन उसके पहचान पत्र के अनुसार किया गया था।
- 8. कारीगर को पहचान कार्ड के अलावा एक अन्य मूल फोटो पहचान प्रमाण साथ रखना होगा और सहायक को दो मूल फोटो पहचान प्रमाण साथ रखने होंगे।
- 9. मुख्यालय कार्यालय की टीम द्वारा स्टॉलों के औचक निरीक्षण के दौरान, किसी भी कारीगर को अपना कौशल प्रदर्शित करने को कहा जा सकता है, अत; संबंधित कारीगरों से अनुरोध है कि वे लाइव प्रदर्शन या किसी अन्य माध्यम जैसे प्रदर्शन की वीडियो क्लिप आदि के माध्यम से अपनी शिल्पकारिता की वास्तविकता साबित करें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से डायरी संख्या 23688, दिनांक 19/06/2019 के तहत जारी किया जाता है।

भवदीय,

(अनिरुद्ध कपिल)

सहायक निदेशक (एमएसएस)

प्रति:

1. प्रभारी (एनआईसी), विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) कार्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

(अनिरुद्ध कपिल)

सहायक निदेशक (एमएसएस)

No. M-12011/3/2017-18/MD Government of India,

Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts)

West Block VII, R. K. Puram, New Delhi- 110066.

Date: 20.06.2019

To,

All Regional Director/ DD (In-charge) (NER/SR/WR/ER/NR/CR)
Office of DC (Handicrafts).

Subject: Participation of artisans in Dilli Haat for the month of July & August 2019

Sir,

This is regarding the participation of artisans from all over India in Dilli Haat, INA for the month of July & August 2019. The slots are as follows:

Slot 07 - 01.07.2019 to 15.07.2019 Slot 08 - 16.07.2019 to 31.07.2019 Slot 09 - 01.08.2019 to 15.08.2019 Slot 10 - 16.08.2019 to 31.08.2019

Region wise stalls for each slot are as under:

SN	Region	State wise stalls proposed
1.	Northern	24
2	Central	24
3	North Eastern	12
4	Southern	18
5	Eastern	18
6.	Western	14
7.	HQ office	08
	Total:-	118

1. Regional Director/DD (In-charge) may ensure adequate participation from each HSC under their jurisdiction. They are requested to submit the consolidated list of artisans as per the quota allotted to them.

1

The preference for the selection at field Offices is detailed as below:

- 1. Shilp Guru/National Awardee/ National Merit Certificate
- 2. State Awardees.
- 3. Handicapped artisan (Specially Abled)
- 4. GI Craft Authorised user
- 5. Endangered Craft Artisan
- 6. Artisans from running SHG covered under AHVY Cluster
- 7. Other Artisans.

The guidelines to be adhered to is detailed as under:

- 2. List submitted by field office directly to Headquarter office will not be accepted. Only RD/DD (In-charge) has the responsibility to compile and send the consolidated list to Headquarter office. List of selected artisans may be submitted to this office for each slot atleast 5 days before the commencement of the event.
- 3. Only Pahchan I card holder artisans will be allowed for participation. Artisan with old or duplicate I card will not be allowed. Artisan should be allowed only once in 6 months.
- 4. The selected artisan should reach the venue one day before. Only one helper other than artisan is allowed to sit in the stall. Helper should be in the blood relation with the artisan or from the same village. None other than these will be allowed/recommended as helper. If some other/unauthorised person other than the artisan/helper is found on the stall during inspection/visit, the artisan will be debarred for participation in any marketing event for five years and the stall will be closed with immediate effect.
- 5. The artisan has to pay the rent of the stall to Dilli Haat Corporation and that should be mentioned in the participation letter.
- 6. No TA/DA/Freight Charges will be paid for participation.
- 7. The artisan should carry only those items against which he/she has been selected for participation as per Pahchan Card.

M-12011/3/2017-18/MD

- **8.** The artisan should carry one original photo Identity proof other than Pahchan Card and Helper should carry two original photo Identity proofs.
- **9.** During the surprise inspection of the stalls by HQ team, any artisan may be asked to demonstrate his/her skills, so artisans concerned are requested to prove the genuineness of their craftsmanship through live demonstration or through any other medium like video clip of demonstration etc.

This issues with the approval of Competent Authority vide Dairy No. 23688, dated 19.06.2019

Yours faithfully,

(Anirudh Kapil)

Assistant Director (MSS)

Copy to:

- 1. The In-charge (NIC), O/o DC (Handicrafts) to upload on the website.
- 2. The Assistant Director (Hindi) for Hindi Version.

Assistant Director (MSS)